an>

Titel: Need to settle the disputes between Andaman Timber Industries Limited and its employees.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 9 अक्टूबर, 2000 में गैरकानूनी तरीके से अपनी फैक्टरी बंद कर दी थी। उसमें काम करने वाले 823 कर्मचारियों को आज तक उनकी बकाया राशि नहीं मिली है। इसी संबंध में लेबर कोर्ट में केस डाला गया। वर्ष 2001 में एक पैकेज बनाया गया। उसमें लेफ्टीनेंट गवर्नर थे, एमपी थे, यूनीयन थी और एटीआई का मैनेजर भी था। उसमें तय किया गया था कि मजदूरों का बकाया देंगे। फर्स्ट इंस्टालमेंट की पेमेंट दी गई, सैकेंड इंस्टालमेंट की पेमेंट दी गई, लेकिन थर्ड इंस्टालमेंट देने के समय एग्रीमेंट बना था कि प्रशासन उनकी जमीन एटीआई से एक्वायर करके पेमेंट देंगे। पार्टली लैंड दी गई और तीन करोड़ रुपया दिया भी था। एटीआई मैनेजमेंट रुपया ले कर भाग गई और मजदूरों को पेमेंट नहीं दी गई। उसके पश्चात् यह केस लेबर कोर्ट को अवार्ड हुआ लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। इसके बीच 26 नवम्बर, 2014 को लेबर कमिश्नर ने डीसी महोदय, साउथ अंडमान को केस अवार्ड किया कि उनकी जमीन एक्वायर करके आक्शन करके जो रुपया आएगा, वह रुपया लेबर कमिश्नर के पास जमा किया जाए, ताकि मजदूरों को उनकी पेमेंट दी जा सके।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे लेबर कोर्ट से हो, चाहे कोर्ट से हो, नहीं तो जो 2,40,00,000/- रुपए मजदूरों को देने हैं, प्रशासन स्कीम बनाकर भारत सरकार से यह रुपया लेकर गरीब लोगों की मदद करे। जयहिंद।